

महत्वपूर्ण सुचना

- १) मददकर्ता को निवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात नये लोगों को इस सिस्टम में जोडना जरूरी नहीं है। केवल मदत करने हेतु इस सिस्टम में जुड सकता है।
- २) निवेदन पत्र पर मददकर्ता क्रमांक २ से ७ में से किसी एक अपलाइन मददकर्ता की मंजूरी आवश्यक होगी। मंजूरी देने से पूर्व मददकर्ता जाँच ले कि निवेदन पत्र भरते समय कोई गलती तो नहीं की गई है।
- ३) जब नये निवेदन पत्र आपको मिले तो अपने फोर्म के अनुसार यह जाँच ले कि आपके द्वारा जमा किये जा रहे निवेदन पत्र में जो ७ नंबर का मददकर्ता है, वह सिस्टम से बाहर हो गया हो और १ नंबर पर नये मददकर्ता का नाम लिखा हो, बाकी सभी नाम क्रम से उपर गये हो।
- ४) सभी नाम सिस्टम द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार लिखे हो तभी नये निवेदन पत्र स्वीकार करे। एक बार नये निवेदन पत्र जारी हो जाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- ५) सिस्टम द्वारा किसी भी मददकर्ता से किसी भी प्रकार की कोई फीस, चार्ज या मदद नहीं ली जाती।
- ६) सिस्टम में बताये गये लोगों कि मदद भरतीय डाक के मनिऑर्डर द्वारा हि किया जाना अनिवार्य है। मनिऑर्डर फॉर्म eMO व Message code 08 चुनें।
- ७) रविवार तथा सरकारी छुट्टी को आवेदन पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।
- ८) मनिऑर्डर की रसिद लगे निवेदन पत्रकी स्कॅन कॉपी स्विकार करके उनकी जांच करने के पश्चात, सिस्टम द्वारा स्विकृती मिलने पर हि नये (मददकर्ताओं) को फार्म वितरित किये जायेंगे।

- ९) मनिऑर्डर की रसिद लगे निवेदन पत्रकी स्कॅन कॉपी में मनिऑर्डर की अस्पष्ट, कटीफटी रसीद या कोई भी गलती या गलत नाम, गलत पता, गलत पिनकोड या गलत रकम संदेह होने पर सिस्टम में शामिल नहीं किया जायेगा ।
- १०) अपलाइन मददकर्ता फार्म ठिक प्रकार से भरा हो इसकी जाँच कर लें और सोच समझकर अपनी जिम्मेदारी पर मंजूरी दे ।
- ११) निवेदन फॉर्म भरकर अपने अपलाइन मददकर्ता को या नजदीकी आवेदन संग्रहण केंद्र (Request Form Collection Center) में जमा कर सकते हैं । साथ आवेदक के पॅनकार्ड की स्वतः द्वारा सत्यप्रती झेरॉक्स देनी होगी ।
- १२) निवेदन पत्र पर भेजे गये मनिऑर्डर की ओरिजनल रसीद लगाना आवश्यक हैं ।
- १३) जब नया मददकर्ता सिस्टम में जोडा जाता है तब इस फार्म से डोनर नं. ७ का नाम काट दिया जाता है बाकी ६ को एक-एक नं. उपर बढा दिया जाता है ।
- १४) नये मददकर्ताओंके नये फार्म में सभी नाम सिस्टम द्वारा बताये गये सिरीयल के मुताबिक सही लिखे है इसकी जांच करें ।
- १५) नये मददकर्ता को सिस्टम द्वारा फार्म जारी हाने के ३० दिन तक ही किसी चार निवेदक के लिये निवेदन पत्र दे सकते हैं । शुरु करने की तारीख से ३० दिन यह अंतिम दिन होगा ।
- १६) ३० दिन पुरे होने से पहले मदद प्रणाली फार्म में दिये गये नामों को मनीऑर्डर करना आवश्यक होगा । अन्यथा आप किसी और को सिस्टम में शामिल नहीं कर पाओगे ।
- १७) ३० दिन पुरे होने से पहले चार निवेदकों को सिस्टम में शामिल नहीं कर सके तो ३० दिन बाद मदत नहीं आयेगी ।

- १८) एक बार मददकर्ता को स्विकृती मिलने के पश्चात उसकी किसी भी जानकारी में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा अतः निवेदनपत्र भेजने से पहले ठिक प्रकार से नाम, पता, मो.नंबर, पिनकोड नंबर जांच कर लें।
- १९) किसी कारणवश मददकर्ता सिस्टम से बाहर जाना चाहे तो उसने भेजी हुयी मदद वापस नहीं की जाएगी। आपने उन लोगोंको मदद की है जो जरूरतमंद लोग है।
(Donation are not refundable)
- २०) इस सिस्टम में शामिल होने के लिये किसी भी प्रकार का कोई चार्ज/फीस या डोनेशन नहीं देना होगा.
- २१) अगर किसी मददकर्ता (Doner) द्वारा मदद प्रणाली की छवि को नुकसान पहुँचाया गया और नुकसान पहुँचाने के सबुत मिले तो बिना किसी पुर्व सुचना के उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जायेगा।
- २२) मनिऑर्डर की रसिद लगे निवेदन पत्रकी स्कॅन कॉपी में मनिऑर्डर की जान बृझकर अस्पष्ट, कटीफटी रसीद या कोई भी गलती या गलत नाम, गलत पता, गलत पिनकोड या गलत रकम संदेह होने पर सबुत मिले तो बिना किसी पुर्व सुचना के उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जायेगा।

ध्यान रहे यह कोई कंपनी, स्किम या व्यापार नहीं है। पारदर्शी व्यवहार हमें अधिक लोगों की मदद करने व उनके जीवन में आने वाली आर्थिक परेशानियों को कम करने में मददगार साबित होगा।